


उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

पृष्ठाकन क्रमांक A/904 /
तीन-19-08/70 (भाग-2-ई)

जबलपुर, दिनांक 05 फरवरी, 2022

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, प्रथम तल विन्यांचल भवन, भोपाल (म.प्र.) की अधिसूचना क्रमांक 1/124/21-ब(दो)/2022, दिनांक 18.01.2022 की प्रतिलिपि समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है ।


(विवेक सक्सेना)
रजिस्ट्रार (जिला स्थापना)

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

प्रथम तल,विन्ध्याचल भवन,भोपाल-462004

//अधिसूचना//

भोपाल, दिनांक 18/01/2022

क्रमांक 1/124/21-ब(दो)/2022, राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989(कं.33 सन् 1989) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालन हेतु संबंधित जिले में पदस्थ जिला अभियोजन अधिकारी/अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी को अधिनियम की धारा-15, के तहत विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती हैं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(अरूण कुमार सिंह(सीनियर))

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

भोपाल, दिनांक 18/01/2022

पृ0क्रमांक 1/124/21-ब(दो)/2022,

प्रतिलिपि:-

- 1- रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर (म.प्र.)
 - 2- समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (म.प्र.)
 - 3- समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी (म.प्र.)
 - 4- अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल आपकी नस्ती यू.ओ.कं.71/पुलिस, बी-3, दिनांक 14.10.21 2021 के संदर्भ में आदेश की प्रति नस्ती में संलग्न नस्ती मूलतः वापस लौटाई जाती हैं ।
 - 5- प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल (म.प्र.)
 - 6- संचालक लोक अभियोजन संचालनालय, भदमदा रोड, भोपाल (म.प्र.)
 - 7- निज सचिव, माननीय विधि मंत्री जी के,
 - 8- आई0टी0शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
 - 9- नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किये जाने हेतु,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(डॉ. वैभव विकास शर्मा)

अतिरिक्त सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग